न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4330/2005/बारां

1– मन्नालाल पुत्र जगराम जाति मीणा, निवासी कोटड़ी तुलसा, तहसील व जिला बारां (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. केसरबाई बेवा मन्नालाल
1/2. अर्जुनलाल पुत्र मन्नालाल
1/3. कैलाश पुत्री मन्नालाल
1/4. कमला पुत्री मन्नालाल
1/5. सुशीला पुत्री मन्नालाल
1/6. ग्यारसी बेवा भीमसेन पुत्रवधु
1/7. राजकुमार पुत्र भीमसेन पौत्र
1/8. मुकेश पुत्र भीमसेन पौत्र
1/9. नरेश पुत्र भीमसेन पौत्र
1/10.कौशल्या पुत्री भीमसेन पौत्री
1/11.राजन्ती पुत्री भीमसेन पौत्री
1/12.इन्द्राबाई पुत्री भीमसेन पौत्री, जाति मीणा निवासी कोटड़ी तुलसा, तहसील व जिला बारां।

------ अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां।
2– अध्यक्ष, संजय किशन गोपाल नन्दवाना निवासी बामला, तहसील बारां।

------ रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री श्रीनिवास बेनीवाल, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
(3) रेस्पोडेन्ट सं0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–20.08.2025

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील डिक्री/टीए/4330/2005/बारां
केसरबाई बनाम सरकार

अपील प्राधिकारी, कोटा की अपील सं0 292/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 15, 19, 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं0 755 रकबा 1–27 है0 के बाबत् प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वादपत्र के चरण सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नं0 755 रकबा 1–27 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2002 से दावा वादी खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की। जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2005 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2002 को यथावत् रखा गया है। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2005 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये हैं कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में वादी/अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट के अभिभाषक ने वाद में नो इन्सट्रशन प्लीड कर दिया था, तब न्यायालय को अपीलांट/वादी को नोटिस दिया जाना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं

की गयी और वाद में वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया है कि आराजी को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दे दिया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो पत्रावली पर मौजूद है और न ही उसके द्वारा कभी प्रस्तुत किया गया है। मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर आराजी का स्थानान्तरण नहीं माना जा सकता है। जबकि अपीलांट द्वारा अपने कब्जे के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की हैं जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं मानने का कोई कारण अंकित नहीं कर अविधिक आदेश पारित किये हैं। वादग्रस्त आराजी को राजगामी सम्पति मानने में भी विधिक भूल की है जबकि स्वयं अपीलांट अपना वाद लेकर आया है और अपना कब्जा स्पष्ट कर रहा है तो ऐसे में आराजी को राजगामी घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 4 तनकियात कायम की गयी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी तनकी पर निर्णय पारित नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 755 रकबा 1-27 है0 पर अपीलांट का सम्वत् 2005 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि मन्नालाल के जीवनकाल में मन्नालाल द्वारा यह घोषणा का वाद जरिये तहसीलदार बारां सरकार को पक्षकार बनाकर पेश किया था किन्तु दौराने दावा रेस्पो0 सं0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का पेश कर कथन किया था कि यह भूमि किशन गोपाल ने विद्यालय को दान कर दी थी तथा प्रार्थी उस विद्यालय का अध्यक्ष है। इस कारण उसे इस वाद में पक्षकार बनाया जावें तब न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं0 2 को पक्षकार बनाया था किन्तु रेस्पो0 सं0 2 द्वारा किशनगोपाल द्वारा विद्यालय के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उसका क्लेम इस आराजी पर नहीं माना जा सकता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-07-2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-03-2002 को निरस्त किया जावें।

5– इसके विरूद्ध विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलांट की बहस का विरोध करते हुये बहस में तर्क दिये कि वादग्रस्त आराजी खातेदार कृष्ण गोपाल द्वारा विद्यालय के नाम दान कर दी गई है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर विद्यालय चल रहा है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के कोई हक व अधिकार नहीं होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत रूप से अपीलांट/वादी का वाद/अपील खारिज किये जाने में कोई विधिक भूल कारित नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व उस पर मनन किया एवं पत्रावली व आलौच्य आदेशों का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 15, 19, 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं0 755 रकबा 1–27 है0 का विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2002 से दावा वादी खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट की ओर से अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की। जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2005 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2002 को यथावत् रखा गया है। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध मण्डल में अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

8– विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 755 रकबा 1–27 है0 वाके ग्राम बामला के खातेदार कृष्ण गोपाल पुत्र मदनमोहन ब्राह्मण को 40 वर्ष पूर्व लाऔलाद फौत होना बताकर वादी द्वारा खातेदारी हक मांगा

गया है। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा यह कथन किया गया है कि कृष्णगोपाल द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी विद्यालय को दान में दी जा चुकी है तथा वर्तमान में विद्यालय के उपयोग में आना बताया है। प्रकरण लावारिस सम्पति का माना है तथा वादी का प्रथम दृष्ट्या कोई लोकस स्टेण्डाई प्रतीत नहीं होने से वाद वादी खारिज किया गया है।

9– उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश होने पर उन्होंने भी अपने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2005 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की गयी है।

10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री व उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जिसका साबिक खसरा नं0 331 हाल खसरा नं0 401 का खातेदार कृष्ण गोपाल पुत्र मदनमोहन ब्राह्मण दर्ज है। खसरा गिरदावरियों से भी इन्हीं का कब्जा काश्त दर्ज है। प्रतिवादी/रेस्पो0 सं0 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी विद्यालय को दान देना बताया है। वर्तमान में उक्त आराजी पर विद्यालय चलना बताया है। वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का सम्वत् 2005 से निरन्तर काश्त होना बताया है लेकिन कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज ना तो विचारण न्यायालय में, ना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे वादी/अपीलांट का कब्जा साबित होता हो। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होना मानकर वादग्रस्त भूमि को राजगामी सम्पति दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए वादी का वाद खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

11– माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया हुआ है कि जहां पर प्रकरण में कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित/प्रकट नहीं होवें उस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जावे। जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0डी0 2007 पृष्ठ संख्या 587 पर रिट पिटीशन

सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि–

''Held, the concurrent finding of fact arrived at by the two court below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue. (Para 7) ''

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए0आई0आर0 1999 पृष्ठ संख्या 2213 में यह अभिमत निर्धारित किया गया है कि–

''Second appealRelief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with. ''

12– उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है।

13– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2002 यथावत् रखे जाते हैं।

14– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य